

Real Estate Regulatory Authority, Bihar

**2nd Floor, BSNL Exchange Building, Patel Nagar, Road no:- 10, Patna &
4th & 6th Floor, Bihar State Construction Corporation Building, Shastri Nagar,
Patna-800023**

Public Notice

It is hereby informed to the allottees that they may file Execution Case under Section- 40 of the RERA Act read with Rule - 26 of the RERA Rules, before the Authority after expiry of period of 60 days from the date of order of the Authority in following steps: -

Step 1 # Open browser like Chrome, internet explorer, Mozilla etc.

Step 2 # Type <https://rera.bihar.gov.in> in address bar and click Inter button.

Step 3 # Click on **Register/Complaint/Execution** Box showing on home page.

Step 4 # Checked Execution Case and click Create an account button.

Step 5 # Fill required field confirm OTP, you will get user id and password.

Step 6 # After successful login fill all required data and documents, make a payment of rupees 100/- by online transaction.

Step 7 # Finally submit the application and take a print out for your reference.
There is no need to submit written application.

**Authorised Signatory
Real Estate Regulatory Authority (RERA),
Bihar.**

मू-सम्पदा विनियामक प्राधिकरण, विहार

दूसरी मंजिल, वीएसएनएल एक्सचेंज बिल्डिंग, पटेल नगर, रोड नंबर : 10, पटना और चौथी
और छठी मंजिल, विहार राज्य निर्माण निगम भवन, शास्त्री नगर, पटना - 800023

आम सूचना

एतद द्वारा, आवंटियों को सूचित किया जात है कि प्राधिकरण द्वारा आदेश पारित किए जाने के 60 दिनों के बाद वे रेरा अधिनियम की धारा 40, सहपठित नियम 26 के तहत क्रियान्वयन का मामला प्राधिकरण में निम्नरूपेण दर्ज कर सकते हैं :-

1. चरण 1 # ब्राउजर खोलें जैसे क्रोम, इंटरनेट एक्सप्लोरर, मोजिला आदि।
2. चरण 2 # एड्रेस बार में <https://rera.bihar.gov.in> टाइप करें और इंटर बटन पर क्लिक करें।
3. चरण 3 # होम पेज पर दिख रहे **रजिस्टर शिकायत/क्रियान्वयन** बॉक्स पर क्लिक करें।
4. चरण 4 # निष्पादन मामले की जाँच करें और खाता बनाएँ बटन पर क्लिक करें।
5. चरण 5 # आवश्यक फील्ड भरें ओटीपी की पुष्टि करें, आपको यूजर आईडी और पासवर्ड मिलेगा।
6. चरण 6 # सफल लॉग इन के बाद सभी आवश्यक डेटा और दस्तावेज भरें, ऑनलाइन लेनदेन द्वारा 100/- (एक सौ) रु० मात्र का भुगतान करें।
7. चरण 7 # अंत में आवेदन जमा करें और अपने संदर्भ के लिए एक प्रिंट आउट ले लें। लिखित आवेदन जमा किया जाना आवश्यक नहीं है।

अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता
मू-सम्पदा विनियामक प्राधिकरण (रेरा), विहार।